जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
03/18

अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2018 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–02–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा जान बूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.10.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1–प्रार्थी का पत्रांक दिनांकित 21.07.2017 ग्यारहवां स्मरण पत्र आपके कार्यालय में पहुचंने की तारीख, आर/आर नम्बर व दिनांक की सूचना।
2–पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3–प्रार्थी के मकान के सहज दृश्य भाग पर श्री धनराज सहायक कर्मचारी द्वारा नोटिस जिस अधिकारी के आदेश से चस्पा किये गये है, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना की प्रमाणित प्रति।
4–जिस अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत नोटिस चस्पा किये गये है, उसकी सूचना व नियम व अधिनियम की प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या सूचना का अधिकार/2018/7950 दिनांक 24.01.2018 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 5003 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अन्वेषण कर, ढूंढ कर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। इसलिए धारा 2च के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती। फिर भी अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर सकता है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या सूचना का अधिकार/2017/5003 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

03/18
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना के सबंध में:–

आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान् सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिाकरी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दी जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को मामला इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनकर नियमानुसार सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर